केन्द्रीय विद्यालय संगठन
18, संस्थागत क्षेत्र,
शहीदजीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110 016
फैक्स FAX: 26514179 फोन PHONE : 26858570
Website : www.kvsangathan.nic.in

फा. 11014–1/2015/केविस(मु0)/प्रशा–1/पार्ट दिनांक : 21–10–2015

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से प्रति माह शिकायतों का निपटान करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आयुक्त महोदय द्वारा शिकायतों कें मामलों को तत्परता से निपटाने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है । यह पाया गया है कि शिक्षकों, कर्मचारियों और प्राचार्यो की विभिन्न शिकायतों का निपटान सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही समय और सही प्रकार से नहीं होने के कारण उनमें असन्तोष की भावना जागृत हो रही है । इन शिकायतों का समय पर सही निपटान नहीं हो पाने के कारण कर्मचारियों में न केवल असन्तोष ही उत्पन्न होता है अपितु कोर्ट केस में भी वृद्धि हो रही है, जिनके कारण न केवल भारी वित्तीय क्षति होती है अपितु उच्च स्तर के अधिकारियों का अमूल्य समय भी बर्बाद होता है ।

2. अतः कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति सन्तोष और कार्यालयों में श्रेष्ठ कार्य–वातावरण विकसित करने के उददेश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी उपायुक्त प्रत्येक महीने के दूसरे शानिवार को अपने अधीनस्थ शिक्षकों एवम् अन्य कर्मचारियों की शिकायतों को सुनेंगे तथा क्षेत्रीय स्तर पर यथोचित समाधान सहित उनकी शिकायतों का तत्काल निपटान करेंगे । यदि किसी मामले में केविस (मु0) से किसी प्रकार के परामर्श या हस्ताक्षेप की अपेक्षा हो तो उसे संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) के पास प्रेषित करेगें ।

3. इस प्रकार की व्यवस्था को "शिकायत निवारण दिवस" के नाम से जाना जायेगा और यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रत्येक माह के दूसरे शानिवार को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक आयोजित की जायेगी । क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से अमल में लाने और अत्यधिक भीड न हो इसके लिऐ वे अपने स्तर पर क्लस्टर–वार और शहर–वार व्यवस्था तैयार कर सकते हैं । इस प्रकार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्त इस तारीख/दिन के पश्चात 05 कार्य दिवसों के भीतर एक सघन रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केविस (मु0), नई दिल्ली को भेजेगें ताकि एक समेकित रिपोर्ट आयुक्त महोदय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत की जा सके कि केविसं द्वारा कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है और कितने मामले अभी निपटान किये जाने बाकी/शेष हैं ।

4. कोई भी उपायुक्त महीने के दूसरे शानिवार को दौरे पर नहीं रहेंगे (अपरिहार्य स्थति में अपर आयुक्त (प्रशासन) की पूर्व–अनुमति अपेक्षित है) । स्थानांन्तरण/ ट्रान्सफर संबंधी मामलों को इसमें सम्मिलित न किए जाए ।

5. इस कार्य के लिऐ तैयार किया गया प्रोफार्मा पत्र के साथ संलग्न है ।

भवदीय

(डॉ0 ई0 प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

संलग्न : यथोपरि

वितरण :

1. आयुक्त, केविस के निजी सचिव ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक), केविसं के निजी सचिव ।
3. केविस (मु0) के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
4. निदेशक, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
5. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति को सूचनार्थ ।
6. सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्यो को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र की एक प्रति अपने सभी शिक्षकों और गैर–शिक्षक कर्मचारियों को प्रदान करें और उसकी पावती भी सभी से प्राप्त करें ।
7. उपायुक्त (ई0डी0पी), केविस (मु0) को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
8. सभी मान्यता प्राप्त केविसं स्टाफ संघ के सचिव/अध्यक्ष को सूचनार्थ ।

केंद्रीय विद्यालय संगठन

क्षेत्रीय कार्यालय .... "शिकायत निवारण दिवस" की बैठक की तिथि ....

क्रमांक संख्या	शिकायतों का विवरण	क्या शिकायत क्षेत्रीय कार्यालय/ अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों या संगठन मुख्यालय से संबन्धित है	उपायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई	उपायुक्त द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

उपायुक्त के हस्ताक्षर